न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खोड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

भरत कुमार पुत्र उकाजी, जाति- माली, निवासी- सिरोडी, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 41/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, रेवदर
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर

-: निर्णय :- **दिनांक 07 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2021 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2021 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, रेवदर के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या-1 (राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, रेवदर) को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा उपस्थिति दी गई एवं नायब तहसीलदार, रेवदर ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2 (सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर) को पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.1.2022 के द्वारा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर को इस अपील प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर तद्नुसार संशोधित अनवान एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 को सम्मन जारी करने हेतु पी.एफ. व सम्मन फार्म प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी संख्या-2 (सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर) को सम्मन जारी किया गया। जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में प्रत्यर्थी सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा भी अपील का जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में दिनांक 08.2.2022 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील [illegible] तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ [illegible] अपीलार्थी को खसरा संख्या 125/1965 ग्राम सिरोडी में [illegible] अतिक्रमी घोषित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:36 IST
Reason: SelfAttested

....पेज

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को अतिक्रमण के संबंध में जो नोटिस प्रेषित किया है वह तीन व्यक्तियों शेरु खान, अशोक कुमार व अपीलार्थी के नाम से संयुक्त जारी किया है, जबकि विधि अनुसार नोटिस अलग अलग जारी होना चाहिये। उक्त नोटिस में पट्टा संख्या 125/1965 लिखा हुआ है जो कि राजस्व भूमि नही है तथा न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है, बल्कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत, सिरोडी की आबादी भूमि है तथा ग्राम पंचायत, सिरोडी ने अपीलार्थी भरत कुमार के दादा को उक्त भूमि वर्ष 1988 में व्यवसाय हेतु केबिन रखने के लिये किराये पर दी थी एवं अपीलार्थी के दादा के बाद अपीलार्थी के पिता एवं उसके बाद अपीलार्थी भरत कुमार किरायेशुदा भूमि पर केबिन में चाय, गोली, बिस्किट आदि बेचने का व्यवसाय करता है। ग्राम पंचायत, सिरोडी में केबिन शुदा भूमि का नियमित रुप से किराया अदा किया जाता रहा है जिसकी किराया जमा रसीद की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, सिरोडी से अनापत्ति प्राप्त कर किरायेशुदा केबिन भूमि में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरोही से किरायेशुदा केबिन भूमि में अपीलार्थी को खाद्य पदार्थ विक्रय का अनुज्ञा पत्र भी जारी किया हुआ है। विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी अपने दादा के समय से बतौर किरायेदार काबिज चला रहा है। यह कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है तथा कोई जांच किये बिना ही केवल सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि अनुरुप नही है। विवादित भूमि न तो राजस्व भूमि है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है, बल्कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत, सिरोडी की आबादी भूमि है। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा अपीलार्थी व उक्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट में जो नक्शा प्रस्तुत किया है उस नक्शें के अनुसार यह साबित है कि अपीलार्थी द्वारा सिरोडी से टोकरा डामकर सडक पर किसी भी प्रकार कोई अतिक्रमण नही किया है एवं न ही उक्त सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आती है, बल्कि उक्त ग्रामीण सडक ग्राम पंचायत के अधीन आती है, जिसकी पुष्टि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही के पत्र क्रमांक 168 दिनांक 08.4.1994 से होती है, जिसमें यह अंकित किया है कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिरोडी से टोकरा सडका का निर्माण कार्य पूर्व में हुआ है, यह सडक विभागीय मेन्टेनेन्स में नही आती है। ऐसी स्थिति में, जब सिरोडी से टोकरा जाने वाली ग्रामीण सडक निर्माण विभाग के अधीन ही नही है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि के संबंध में कार्यवाही करने का कानूनन अधिकार नही है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत, सिरोडी को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय को ग्राम पंचायत, सिरोडी की अनुशंषा के बिना विवादित भूमि के संबंध में कार्यवाही [illegible] कोई अधिकार नही है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जा[illegible] निर्णय दिनांक 27.9.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:36 IST
Reason: SelfAttested

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को निरस्त किया जावे। जबकि नायब तहसीलदार, रेवदर ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा अपीलार्थी भरत कुमार व अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध सिरोडी से टोकरा जाने वाली ग्रामीण सडक की भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी व अन्य को संयुक्त रुप से नोटिस जारी कर नोटिस की तीनों अतिक्रमियों को अलग अलग तामिल करवाई गई। प्रकरण में अपीलार्थी व अन्य अतिक्रमियों को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर ने बहस के दौरान नायब तहसीलदार, रेवदर के कथनों की ताईद करते हुए व जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सिरोडी से टोकरा जाने वाली ग्रामीण सडक सीमा में अपीलार्थी भरत कुमार व अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत पर मौके की जांच की गई एवं जांच में यह पाया गया कि अपीलार्थी व अन्य दो व्यक्तियों ने उक्त ग्रामीण सडक के केन्द्र बिन्दु से 4.90 मीटर की दूरी पर केबिन व कच्चा शेड लगाकर सडक सीमा की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमों के अनुसार ग्रामीण सडक के केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी 12.5 मीटर के भीतर आने वाली भूमि सडक सीमा की भूमि है। अपीलार्थी व अन्य दो व्यक्तियों ने उक्त ग्रामीण सडक के केन्द्र बिन्दु से 12.5 मीटर के भीतर सडक सीमा में आने वाली भूमि पर अतिक्रमण कर केबिन रखा गया है। जिसके संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देते बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर के पत्र दिनांक 03.9.2021 के द्वारा तहसीलदार, रेवदर को अपीलार्थी भरत कुमार पुत्र उकाजी माली, निवासी- सिरोडी व अन्य दो व्यक्ति श्री शेरुखान पुत्र अहमदखान, जाति- पिंजारा, गांव लुणोलवाला व श्री अशोक कुमार पुत्र अम्बालाल जी, जाति- हरिजन, निवासी- सिरोडी के विरुद्ध संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम सिरोडी में सिरोडी से टोकरा जाने वाली डामर सडक (ग्रामीण सडक) सीमा में क्षेत्रफल 18.72 वर्गमीटर, 11.18 वर्गमीटर, 6.50 वर्गमीटर व 27.36 वर्गमीटर भूमि पर केबिन व कच्चा शेड लगाकर अतिक्रमण किया है, इसलिये इन व्यक्तियों के अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश पारित किये जावे। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके का नजरी नक्शा भी अंकित किया है। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की रिपोर्ट प[illegible] भरत कुमार व उक्त शेरुखान व अशोक कुमार के विरुद्ध [illegible]तहसीलदार, रेवदर में धारा 91

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों अतिक्रमियों को संयुक्त रुप से नोटिस जारी कर अपीलार्थी भरत कुमार व अन्य अतिक्रमियों को नोटिस की तामिल करवाई गई। जिस पर प्रथम सुनवाई तिथि 13.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी भरत कुमार व अतिक्रमी अशोक कुमार उपस्थित हुये एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन प्रकरण में नियत आगामी सुनवाई तिथि 27.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी भरत कुमार उपस्थित नही हुआ। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शें के अनुसार अपीलार्थी व उक्त अन्य व्यक्तियों ने सिरोडी से टोकरा जाने वाली सडक (ग्रामीण सड़क) के केन्द्र बिन्दु से 4.90 मीटर की दूरी पर सडक सीमा में केबिन व कच्चा शेड लगाकर अतिक्रमण किया है, जिसे नजरी नक्शें में 1, 2, 3 व 4 में दर्शित किया है एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर की रिपोर्ट में अपीलार्थी भरत कुमार व अन्य अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल भी अंकित किया है।

चूंकि प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों से यह स्पष्ट है कि सिरोडी से टोकरा जाने वाली ग्रामीण सड़क के केन्द्र बिन्दु से 4.90 मीटर की दूरी पर सड़क सीमा में अपीलार्थी व उक्त अतिक्रमियों ने केबिन व कच्चा शेड लगाकर अतिक्रमण किया है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:36 IST
Reason: SelfAttested